



2026:AHC:129694

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21866 वर्ष 2026

रोहित जैन

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	कुलदीप त्रिपाठी, शिव शंकर मिश्रा
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव शंकर मिश्रा, श्री रजत वत्स और श्री मयंक शर्मा, सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तंजील अहमद तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री शशि धर पांडे को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 470 वर्ष 2023, धारा 409, 417, 419, 420, 422, 465, 467, 468, 471, 506, 120बी आई.पी.सी., थाना - बिलारी, जिला - मुरादाबाद के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक के खिलाफ किसी गलतफहमी के तहत दर्ज कराई गई है। एक व्यावसायिक विवाद को आपराधिक मामले में बदल दिया गया था। हालांकि, कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पक्षों ने आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार देय राशि का भुगतान सूचनाकर्ता को किया जा चुका है।
4. सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तंजील अहमद ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों से इनकार नहीं किया है और आवेदक को जमानत दिए जाने का विरोध भी नहीं किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है तथा जांच के दौरान आवेदक के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। आवेदक का तीन मामलों का आपराधिक इतिहास भी है।

6. इस मुद्दे का प्रतिवाद करते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उनके आपराधिक इतिहास में दर्शाए गए मामलों में से एक में आवेदक अग्रिम जमानत पर है और अन्य दो मामलों में, पुलिस द्वारा उसे आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि पक्षों के बीच पैसे का विवाद था। ऐसा भी प्रतीत होता है कि आवेदक पर जो राशि बकाया थी, उसका भुगतान अब आवेदक द्वारा कर दिया गया है। हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए आवेदक की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

9. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जमानत के लिए *प्रथम दृष्टया* मामला बनता है।

10. जमानत आवेदन *स्वीकार* किया जाता है।

11. अभियुक्त-आवेदक **रोहित जैन**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में शामिल है, को संबंधित अदालत के संतोष के अनुसार व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाए:

i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें नहीं डराएगा और विचारण में सहयोग करेगा।



iv. आवेदक विचारण अदालत द्वारा तय की गई प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित अदालत द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दे दी गई हो।

12. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने के लिए आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होगी।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचनबद्धता के साथ सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

14. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगी।

15. यहाँ की गई टिप्पणियाँ विशेष रूप से इस जमानत आवेदन को तय करने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोषों पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026

कृष्णा*